न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्याः– 13/2017
उनवानः–
1. तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ——————————प्रार्थी

बनाम

1. दामोदर प्रसाद पुत्र रामशरण जाति ब्राम्हण निवासी बाईपास धौलपुर
2. दाउदयाल पुत्र दामोदर प्रसाद कौम ब्राम्हण निवासी बाईपास धौलपुर
3. कृष्णा पत्नि रमेशचन्द निवासी कठूमरा तहसील राजाखेडा
4. सन्तोष कुमार पुत्र रामदीन कौम ब्राम्हण निवासी राजाखेडा
5. मनोज कुमार पुत्र रामदीन कौम ब्राम्हण निवासी राजाखेडा——————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज.
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– श्री गोपाल नारायण शर्मा, पैरोकार सरकार
श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांकः–30.05.2019

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 722/484 रकवा 02 बीघा किस्म बारानी दोयम बाके ग्राम दूंका पुरा तहसील धौलपुर में स्थित है। आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में है। अप्रार्थीगण को राज0 काश्तकारी कानून के नियमानुसार काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि सपंरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नही है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगणो ने अपने अधिकारों का उल्लघंन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एंव बिना अनुमति के विवादित आराजी 722/484 रकवा 02 बीघा पर आश्रम व पक्का भवन (आई.टी.आई.) स्थापित कर दिया है। जो कानूनी रूप से अवैध है तथा कोई कानूनी अधिकार नही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थीगण विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत उचित है। अतः अप्रार्थीगणो के द्वारा शर्तो का उल्लंघन किये जाने के प्रतिफल विवादित भूमि से बेदखल कर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करें।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खातेदार काश्तकार 500 वर्गमीटर तक निर्माण करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने किसी भी शर्त को भंग नही किया है। अप्रार्थीगण ने कानूनी रूप से कोई अवैधता नही की है। प्रार्थना पत्र बदनीयती दुर्भावना पूर्वक गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण को आराजी/सम्पत्ति से नाजायज रूप महरूम करने के उद्देश्य से तथा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया है। वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 177(4) आरटीए के नीचे दावे की परिधि में आता है। इसलिए प्रार्थना पत्र को दावे की औपचारिकताऐं पूर्ण कर प्रस्तुत नही किया गया है। सहखातेदारो ने आपस में सहमति के आधार पर वटवारा कर लिया है। तथा वटवारा के आधार पर सहखातेदारान मौके पर काबिज है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। आपसी वटवारे के आधार पर अप्रार्थीगण दाउदयाल एंव कृष्णा ने भूमि रूपान्तरण हेतु पत्रावली नगर परिषद् धौलपुर में दिनांक 20.01.16 को जमा कर दी है लेकिन नगर परिषद् धौलपुर ने भूमि रूपान्तरण का पट्टा जारी नही किया है, अप्रार्थीगण भूमि रूपान्तरण खर्चा वहन करने को तैयार है। वर्तमान प्रार्थना पत्र के माध्यम से विवादित आराजी से अप्रार्थीगण को न तो वेदखल किया जा सकता है ना ही विवादित आराजी सिवायचक दर्ज की जा सकती है। विवादिज आराजी पर प्रार्थीगण ने मन्दिर व बाउण्ड्री वाल का निर्माण व वृक्षारोपण लगभग 15 वर्ष पूर्व किया था जो कि एक सुधार की परिभाषा में आता है। अहितकर कार्य की परिभाषा में नही आता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 6.11.15, जमाबन्दी सम्बत 2070–73 ग्राम दूं का पुरा पेश की अप्रार्थीगण ने साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ख.नं. 722/484 सम्बत् 2070 ग्राम दूंका पुरा, नक्शा ट्रेस, छायाप्रति रशीद नगर परिषद् धौलपुर श्रीमती कृष्णा, श्री दाउदयाल, प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दामोदर प्रसाद पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 722/484 रकवा 02 बीघा भूमि बांके ग्राम दूका पुरा पर आश्रम व पक्का भवन (आई. टी.आई.) बना लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आराजी से बेदखल किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए पटवारी हल्का की दिनांक 06.11.2015 की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया है। दायरी के वक्त नई जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गई है। अप्रार्थी दामोदरप्रसाद का निधन प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व दिनांक 08.05. 2014 को ही हो गया था। मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय आवश्यक जांच नही की गई है। अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से गलत तथ्यो के आधार पर कार्यवाही की गई है। जो गलत है। विवादित आराजी ख.नं. 722/484 के जिस भाग पर निर्माण हो रहा उसकी 90बी एलआर एक्ट की कार्यवाही हो चुकी है। तथा नामान्तरण संख्या

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

239 दिनांक 08.10.2018 से नगर परिषद् धौलपुर के नाम खातेदार दर्ज हो गया है। जिसके बटा नम्बर बन चुके है। शेष भूमि मौके पर खाली है। कोई निर्माण नही हो रहा है। उक्त भूमि के भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही नगर परिषद् धौलपुर द्वारा की जानी है। जिसकी पत्रावली नगर परिषद् धौलपुर में विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जावे।

दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रकरण अप्रेल 2017 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 06.11.2015 तथा जमाबन्दी सम्बत् 2070 से 2073 दिनांक 06.11.2015 की पेश की है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दायरी के समय से लगभग 17 माह पूर्व की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव जमाबन्दी के आधार पर कार्यवाही की गई है। जो नियमानुसार उचित नही है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ तत्समय की नवीन जमाबन्दी एंव रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। अप्रार्थीगण की ओर से जमाबन्दी सम्बत् 2070–2073 दिनांक 14.05.2019 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिससे स्पष्ट है कि ख.नं. 722/484 से ई.नं. 209 दिनांक 21.12.15 से दामोदर पुत्र रामशरण के बजाय दाउदयाल पुत्र दामोदर के नाम आई है। प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही दामोदर की भूमि अप्रार्थी दाउदयाल के नाम दर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद तहसीलदार धौलपुर द्वारा दामोदर को पक्षकार बनाया जाकर तथ्यो की अनदेखी की गई है। इ.नं. 239 दिनांक 8.10.18 से दाउदयाल पुत्र दामोदर के बजाय ख.नं. 722/484/1 रकवा 1 बीघा भूमि नगर परिषद् धौलपुर के नाम दर्ज हो चुकी है। तथा शेष भूमि 722/484/2 कृष्णा पत्नि रमेशचन्द कौम ब्रा.सा. राजाखेडा तथा ख.नं. 722/484/3 सन्तोष , मनोज कुमार पि0 रामदीन सा. कठूमरा के नाम दर्ज है। विवादित आराजी का एक भाग जिस पर अप्रार्थीगण ने निर्माण होना स्वीकार किया है जो अप्रार्थी दाउदयाल के नाम से धारा 90बी एलआर एक्ट की कार्यवाही उपरान्त नगर परिषद् धौलपुर के नाम दर्ज हो चुकी है। तथा वर्तमान में कृषि भूमि नही है। अतः ख.नं. 722/484/1 पर कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। शेष भूमि खाली होना कथन किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नही है कि निर्माण किस नम्बर पर हो रहा है तथा कौनसा नम्बर खाली है। प्रार्थी सरकार की ओर से नये नम्बर बनने के उपरान्त बदली हुई स्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही पोषणीय नही है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(भंवरलाल कागोरिया)
उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर